झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

सी0एम0पी0 संख्या–409 / 2019

मुनि उरांव .... याचिकाकर्ता

बनाम

झारखण्ड राज्य और अन्य ..... प्रतिवादीगण

<u>कोरम:</u> माननीय न्यायमूर्ति श्री आनंदा सेन

(वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से)

याचिकाकर्ताओं के लिए : श्री राजेश कुमार, अधिवक्ता

उत्तरदाताओं के लिए : श्री आशीष कुमार, एस0सी0 माइन्स–III के ए0सी0

06 / 09.07.2021 यह याचिका, डब्ल्यू0पी0एस0 संख्या 7402 / 2017 की बहाली के लिए दायर की गई है। जिसे 4 फरवरी, 2019 के आदेश का अनुपालन न करने के कारण खारिज कर दिया गया था।

याची के वकील निवेदन करते हैं कि रिट याचिका को 04.02.2019 को सूची में चिन्हित नहीं किया जा सका और इस प्रकार वह कार्यालय द्वारा इंगित त्रुटियों को दूर करने के आदेश से अनजान था। वह निवेदन करता है कि जैसे ही रिट याचिका को बहाल किया जाता है, वह 10 दिनों के भीतर त्रुटियों को दूर कर देगा।

उपर्युक्त सबमिशन पर विचार करते हुए, मैं इस याचिका को स्वीकार करने के लिए इच्छुक हूँ। तदनुसार, इस याचिका की अनुमति दी जाती है।

नतीजतन, डब्ल्यू0पी0एस0 संख्या 7402/2017 को याचिकाकर्ता को दस दिनों के भीतर रिट याचिका में कार्यालय द्वारा इंगित त्रुटियों को दूर करने का निर्देश देने के लिए अपनी मूल फाइल में बहाल किया जाता है।

(आनंदा सेन, न्याया0)